मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर विल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या:18-रिट-04(तेजवीर सिंह)/2024 दिनांक:लखनऊ:मई 13 ,2024

आदेश

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) तेजवीर सिंह, पीएनओ-912020572 जनपद-बरेली द्वारा रिट याचिका संख्या:647/2024 तेजवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन में इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.04.2024 द्वारा याची का प्रत्यावेदन दिनांक 25.11.2024 इस आशय से निस्तारित किया गया है कि याची तेजवीर सिंह को पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर तद्नुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. उल्लेखनीय है कि याची तेजवीर सिंह द्वारा मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष अवमानना याचिका संख्या:1537/2024 तेजवीर सिंह बनाम श्री संजय सिंघल, अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) योजित की गयी है जिसमें मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2024 को आदेश पारित करते हुये अनुपालन आख्या दिनांक 27.05.2024 के पूर्व दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

3. उक्त के क्रम में अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या:पीआरपीबी-चार-10(28)/2023 दिनांक 08.05.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क0सं0	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	912020572	तेजवीर सिंह	स्व0ज्वाला सिंह	2023	बरेली

2/-

Scanned with OKEN Scanner

3. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मी के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथासंशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. उक्त आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जनपद उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर

3/-

Scanned with OKEN Scanner

नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। इनकी वरिष्ठता चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति पाये इनसे वरिष्ठ कर्मी एवं इनसे कनिष्ठ कर्मी के मध्य यथास्थान निर्धारित किया जायेगा।

~~संलग्नक:उपरोक्तानुसार~~।

(प्रभाकर चौधरी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, बरेली।
3. पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को आदेश की 02 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) तेजवीर सिंह पीएनओ- 912020572 जनपद-बरेली को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर लेकर उसकी प्रति दिनाँक 18.05.2024 के पूर्व प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Scanned with OKEN Scanner